

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 13/2011	विक्रम संवत् 2067-68	4(क०) वैशाख 1933 (शा०) जमशेदपुर, गुरुवार, 21/04/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिसूचना।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना		पृष्ठ संख्या 01-07

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -177

दिनांक -04.03.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बड़ाजूड़ी-VI, परगना ..... , थाना-घाटशिला, थाना नं० - 125, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर०-35 लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-बड़ाजूड़ी - VI के भीतर भूमि का 26 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 3.735 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है:-

बड़ाजूड़ी माईनर

अर्जित रकबा - 3.735 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या - 104, 124, 2965, 2060, 2063, 2062, 2061, 2074, 2084, 2083, 2082, 2075, 2097, 2098, 2100, 2992, 2147, 2148, 2149, 2146, 2157, 2158, 2161, 2212, 2213 एवं 2219।

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम- वालीगुमा, थाना नं०-78।

पूरब :- अंश खेसरा सं० - 128, 125, 2911, 104, 124, 2965, 2922, 2068, 2060, 2084, 2083, 2097, 2098, 2199, 2100, 2924, 2101, 2992, 2925, 2147, 2149, 2157, 2158, 2930, 2161, 2926, 2989, 2212, 2213, 2947, 2264, 2219 एवं 2828

दक्षिण:- संयुक्त सीमारेखा ग्राम- तमकपाल, थाना नं०-121।

पश्चिम:- अंश खेसरा सं० - 2828, 2264, 2927, 2212, 2989, 2926, 2980, 2136, 2146, 2148, 2147, 2925, 2101, 2992, 2300, 2100, 2099, 2098, 2097, 2082, 2075, 2074, 2063, 2060, 2068, 2922, 125, 2965, 104, 2911

लगातार-2

(2)

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या - 649, 2922, 2068, 2136, 2980, 2926, 2089, 2264 का रकबा-9.47 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार का खेसरा सं०-2069, 3009, 2099, 2924, 2101, 2925, 2927 एवं 2828 का रकबा 2.76 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकार सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-10, घाटशिला के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना को प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा 5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त पूर्वीसिंहभूम, के समक्ष विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह० / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह० / -

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -178

/

दिनांक -04.03.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बड़ाजूडी-VII, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं० - 125, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-बड़ाजूडी - VII के भीतर भूमि का 17 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 1.21 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

लगातार-3

(3)

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है:-

बड़ाजुड़ी सब माईनर

अर्जित रकबा - 1.21 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या - 594, 614, 611, 613, 631, 770, 771, 772, 797, 796, 800, 801, 802, 803, 804, 561, 562।

चौहदी - खण्ड "क"

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम- वालीगुमा, थाना नं0-78।

पूरब :- अंश खेसरा सं0 - 128, 125, 127, 2914, 799, 2915 तथा पूर्ण खेसरा संख्या-596

दक्षिण:- अंश खेसरा सं0-613 एवं 614

पश्चिम:- अंश खेसरा सं0 - 614, 611, 2915, 2914, 563, 562, 561, 125

खण्ड "ख"

उत्तर :- अंश खेसरा सं0 -611, 494, 771, 772, 773, 794

पूरब :- मिलन चादर नं0-2

दक्षिण:- अंश खेसरा सं0-804, 803, 802, 801, 800, 796, 794, 773, 772, 771, 770, 631 एवं 618

पश्चिम:- अंश खेसरा सं0 - 614 एवं 611

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या - 125, 2915 का रकबा-3.62 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा सं0-127, 2914, 612, 794, 773 का रकबा 3.08 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकार सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-10, घाटशिला के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना को प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा 5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त पूर्वीसिंहभूम, के समक्ष विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -179 /

दिनांक -04.03.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बड़ाजूड़ी-VIII, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं० - 125, जिला- पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-बड़ाजूड़ी - VIII के भीतर भूमि का 39 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 6.225 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है:-

बड़ाजूड़ी सब माईनर

अर्जित रकबा - 6.225 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या - 2988, 1193, 1190, 1191, 1192, 1185, 1189, 1187, 1186, 1184, 1183, 1182, 1177, 1176, 1175, 1170, 1169, 1159, 1160, 1157, 1158, 1154, 1153, 1152, 1138, 1136, 1134, 1135, 1133, 1122, 1123, 1121, 1120, 1166, 1103, 1102, 1101, 1100, 1151

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा सं० -2938, 1193, 1190, 1191, 1192, 1185, 1189, 1187, 1186, 1184,

पूरब :- 1183,1177,1170,1175,1170,1169,1159,1158,1153,1152,1138,1136,1134,1133,1122,1120, 1121, 1101, 1102

दक्षिण:- मिलान चादर सं०-3

पश्चिम:- अंश खेसरा सं० - 100, 1103, 1120, 1123, 1135, 1136, 1138, 1151, 1154, 1160, 1169, 1170, 1178, 1176, 1177, 1182, 1184, 1186, 1187, 1189, 1190, 1166

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकार सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-10, घाटशिला के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-5

(5)

इस अधिसूचना को प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा 5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त पूर्वीसिंहभूम, के समक्ष विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -180

/

दिनांक -04.03.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बड़ाजूडी-II, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0 - 125, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 - 35, लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-बड़ाजूडी - II के भीतर भूमि का 43 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 11.10 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है:-

अनीडीह उप जलवाहा

अर्जित रकबा - 1.26 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या - 2829, 2846, 2847 एवं 2850

चौहदी

उत्तर :- } अंश खेसरा सं0 -2830, 2829, 2846, 2847 एवं 2850

पूरब :- }

दक्षिण:- } संयुक्त सीमारेखा ग्राम-तमकपाल, थाना नं0-121 तथा 2850, 2847, 2846 एवं 2829

पश्चिम:- }

लगातार-6

(6)

वनबेड़ा जलवाहा-1

अर्जित रकबा - 3.72 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या - 2830, 2829, 2831, 2846, 2847, 2851, 2850, 2858, 2859, 2857, 2860, 2871, 2861, 2862, 2863, 2865 एवं 2864

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा सं० -2264, 2828, 2932, 2830, 2831, 2846, 2847, 2858, 2857, 2860,  
पूरब :- 2871, 2862, 2866 एवं 2865

दक्षिण:- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-तमकपाल, थाना नं०-121 तथा 2864, 2863, 2862, 2861, 2859,  
पश्चिम:- 2851, 2848, 2846, 2836, 2932, 2824, 2828 एवं 2264

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या 2264 का रकबा-1.94 अनावार झारखण्ड सरकार का खेसरा संख्या - 2828, 2932, 2824, 2866 का रकबा - 2.35 एकड़ को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

कोलपाड़ा उप माईनर

अर्जित रकबा - 6.12 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या - 2464, 2463, 2150, 2151, 2152, 2154, 2153, 2954, 2998, 2300, 2299, 2294, 2295, 2302, 2303, 2304, 2317, 2316, 2313, 2314, 2311, 2312

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा सं० -2466, 3012, 2463, 2069, 2151, 2152, 2153, 2976, 2928, 2979,  
पूरब :- 2300, 2299, 2294, 2295, 2302, 2303, 2315, 2316, 2313, 2777 एवं 2312

दक्षिण:- अंश खेसरा संख्या- 2312, 2311, 2314, 2315, 2304, 2302, 2294, 2295, 2299,  
पश्चिम:- 2998, 2979, 2954, 2928, 2976, 2154, 2153, 2151, 2150, 2069, 2464, 3012 एवं 2466

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या- 2466, 2928 का रकबा-2.88 तथा अनावार झारखण्ड सरकार के भूमि का खेसरा संख्या - 3012, 2069, 2976, 2979, 2315, 2777 का रकबा - 1.78 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकार सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

लगातार-7

(7)

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-10, घाटशिला के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना को प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा 5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त पूर्वीसिंहभूम, के समक्ष विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।